

राजस्थान सरकार

कार्यालय प्रधानाचार्य राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं नियंत्रक संलग्न चिकित्सालय समूह,
कोटा।

क्रमांक :- प03(2)एकेड-II/लो0रे0/2018/807

दिनांक :20.09.2018

-: कार्यालय आदेश :-

चयन समिति की अभिशंसा पर दिनांक 21.09.2018 से 05.11.2018 तक के लिए (अभिवृद्धि पर अधिकतम 1 वर्ष के लिये) अथवा नियमित पी.जी. रेजिडेन्ट उपलब्ध होने तक (जो भी पहले हो) निम्नलिखित आवेदकों को लोकम रेजिडेन्ट के पद पर कार्य करने हेतु लगाया जाता है। इन्हें स्टाईपेंड के रूप में रूपये 48000/- प्रतिमाह एवं इस पर नियमानुसार देय महंगाई भत्ता भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इन्हें दिनांक 28.09.2018 तक उपस्थिति देनी होगी अन्यथा यह आदेश स्वतः ही निरस्त हो जावेगा। प्रत्येक 45 दिवस के अंतराल पर कार्यकाल अभिवृद्धि हेतु विभागाध्यक्ष की अभिशंसा सहित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा कार्यकाल में अभिवृद्धि नहीं की जावेगी।

क्रमांक	नाम	विभाग
1	डॉ. वैभव दूआ	स्त्री एवं प्रसुतीरोग विभाग
2	डॉ. सुमित राठौर	न्यूरोसर्जरी विभाग
3	डॉ. मनन गौड	ट्रांसप्यूजन मेडिसीन विभाग
4	डॉ. अब्दुल मलिक	रेडियोथैरेपी विभाग
5	डॉ. आशुतोष मिश्रा	रेडियोथैरेपी विभाग
6	डॉ. नैमीचन्द योगी	रेडियोलॉजी विभाग

- जूनियर रेजिडेन्ट तीन दिवस अपने कार्य पर बगैर सूचना के अनुपस्थित रहेगा तो उसकी नियुक्ति तुरन्त प्रभाव से समाप्त हो जावेगी।
- जूनियर रेजिडेन्ट अपने नाम के समक्ष अंकित विभाग के विभागाध्यक्ष के निर्देशानुसार कार्य करेंगे, यदि विभागाध्यक्ष के आदेशों की अवहेलना करेंगे तो तुरन्त प्रभाव से नियुक्ति निरस्त मानी जावेगी।

प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक

दिनांक :20.09.2018

क्रमांक :- प03(2)एकेड-II/लो0रे0/2018/807

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अतिरिक्त प्रधानाचार्य, प्रथम/द्वितीय, चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा।
2. अधीक्षक एम.बी.एस./जे0के0लोन चिकित्सालय/एन.एम.सी.एच, कोटा।
3. आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, सम्बन्धित विभाग एम.बी.एस/ एन.एम.सी.एच चिकित्सालय,कोटा को भेजकर लेख है कि उपस्थिति प्रस्तुत करने एवं नहीं करने वाले लोकम रेजिडेन्ट चिकित्सकों की उपस्थिति/अनुपस्थिति की सूचना इस कार्यालय को अविलम्ब प्रेषित करें।
4. लेखा शाखा/बिल (एफ0वी0सी0) (दो प्रति में)/केशियर चिकित्सा महाविद्यालय,कोटा।
5. सम्बन्धित चिकित्सक द्वारा विभागाध्यक्ष

प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक